मुकदमा की हैसियत रिकॉर्ड

56/2021 धारा

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	09.10.22	[illegible] अतः [illegible] राष्ट्र के [illegible] व्यापित कार्य स्थगित [illegible] साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ..... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. [illegible] को पेश हो। (राजेश)
	9-11-22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं-5 की वादिका [illegible] की रसीद पेश की है तथा 1 माह के समय का कथन किया है। अप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की जाती है। वकील प्रार्थी के कथन तथा वकील प्रार्थी ने दिनांक 10-9-21 को जारी अन्तरिम आदेश 39 R को मूल वाद तक सम्बन्ध माने हुए निवेदन किया। इनके पत्रावली का अवलोकन किया मूल वाद दुरुस्ती स्पष्टीकरण घोषणा का है तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब नहीं के अनुपस्थित है। इस न्यायालय से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध किया जाना उचित लगता है। अतः दिनांक 10-9-2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक सम्बन्ध किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 10/9/21 मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी रहेगा। पत्रावली लेकर मूल वाद के हेतु नियत हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा